प्रदेश से बाहर अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं एवं संस्थाओं हेतु दिशा-निर्देश

1— अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT.AIDED) शिक्षण संस्थान जो उत्तर प्रदेश राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उनमें अध्ययनरत ऐसे छात्रों को, जिनके माता—पिता/अभिभावक की आय रू0—2.50 लाख वार्षिक या उससे कम हो (सामान्य वर्ग हेतु रू०—2.00 लाख वार्षिक या उससे कम हो), को समय सारिणी के अनुसार आनलाइन आवेदन करने पर तथा संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन एवं उसकी हार्ड कापी सभी संलग्नकों के साथ छात्र के उत्तर प्रदेश के निवासरत जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित/प्रेषित करने पर ही वर्ष 2023—24 में यह सुविधा उपलब्ध होगी।

2— प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT-AIDED) नवीन शिक्षण संस्थानों को छात्रवृति पोर्टल https://scholarship.up.gov.in पर जाकर इंस्टीट्यूट सेक्शन में दिये गये आप्शन के माध्यम से आनलाइन अपनी संस्था का आवेदन करना होगा तथा संस्था के लिये लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त अभिलेखों के साथ रिजस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से तथा आवेदन पत्रों को स्कैन कर ई-मेल-dd.dir3.sw@dirsamajkalyan.in पर समय सारिणी में दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में उपलब्ध करानी होगी।

3— मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय (GOVT.) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT.AIDED) शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarship.up.gov.in पर निर्घारित समय सारिणी के अनुसार इंस्टीट्यूट सेक्शन से अपने लॉगिन आई०डी०, पासवर्ड तथा डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर डाटा लॉक किया जाना आवश्यक होगा। जो पाठ्यक्रम उनके द्वारा लॉक किया जाएगा छात्र उसी पाठयक्रम में आवेदन कर सकेगा।

4— प्रदेश से बाहर अध्ययनरत उन्हीं संस्थाओं के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र आवेदन कर सकेगें, जो संस्थायें मास्टर डाटा में निर्धारित प्रकिया एवं समय सारिणी के अनुसार निर्धारित समयाविध में छात्रवृत्ति पोर्टल में सम्मिलित हैं तथा उनके द्वारा अपना मास्टर डाटा पूर्ण करते हुये निर्धारित समयाविध में लॉक कर दिया गया है।

5— कई वर्ष की अविध वाले पाठ्यक्रमों में यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन फार्म भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन भरना होगा।

6— किसी भी छात्र द्वारा गत वर्षों में छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन किया गया हो किन्तु उसे किन्हीं कारणों से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो अथवा नहीं तो उसे नवीनीकरण के रूप में ही आवेदन करना होगा।

7— सभी संस्थान अपने यहाँ अध्ययनरत छात्र का आवेदन पत्र जमा करके छात्र को पावती देगें तथा उनके आवेदन पत्र छात्र के मूल निवास से सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को सभी अभिलेखों सिहत हार्ड कापी के रूप में तथा अपने पासवर्ड एवं डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से आनलाइन निर्धारित तिथि तक अग्रसारित करेंगे। सभी संस्थान यह सुनिश्चित कर लेंगे कि जिस छात्र का आवेदन अग्रसारित किया जा रहा है, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग का ही छात्र हो। उत्तर प्रदेश राज्य में चिन्हित अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों का अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग में किसी भी स्थिति में आवेदन अग्रसारित न किया जाय।

8— शैक्षणिक संस्था को केन्द्र / प्रदेश की छात्रवृत्ति नियमन समिति अथवा सक्षम स्तर द्वारा निर्घारित शुल्क के अनुसार छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने शुल्क विवरण अंकित करना होगा। शुल्क में अनिवार्य वापस न किये जाने वाले शुल्क ही सम्मिलित होंगे। इस शुल्क में छात्रावास, मेस शुल्क तथा काशन मनी के रूप में जमा धनराशि सम्मिलित नहीं होगी।

में भी किया है से शुल्प ने छात्रापात्त, नेत शुल्प तथा काशन नेना के रूप ने ज

9— संस्थान में केन्द्र / राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आय सीमा अथवा अन्य कारणों से बिना शुल्क के प्रवेशित छात्र अथवा अन्य छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र इस पोर्टल पर आवेदन करने के पात्र नहीं होगें। संस्थान द्वारा ऐसे आवेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा।

10- वर्ष 2023-24 में सभी नवीनीकरण छात्रों को एनरोलमेंट नम्बर भरना अनिवार्य होगा।

11— प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT. AIDED) शिक्षण संस्थानों को समय सारिणी में दी गयी समयाविध में छात्रवृत्ति वेबसाइट पर निर्धारित लागिन से स्वयं आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा।

समस्त अभिलेखों के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र में माँगी गयी सूचनाओं को निदेशक, समाज कल्याण, उठ प्रठ, लखनऊ को प्रत्येक स्थिति में समय सारिणी में दी गयी समयाविध में प्रेषित भी करना होगा। प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT.AIDED) शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड उनके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित ई—मेल के माध्यम से दिया जायेगा। संस्थायें आवेदन पत्र भरते समय सही और कार्यरत ई मेल एड्रेस ही दें। लागिन एवं पासवर्ड आनलाइन आवेदन एवं हार्डकापी प्राप्त होने के उपरान्त योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रकिया पूर्ण करके उपलब्ध कराया जायेगा।

लागिन एवं पासवर्ड मिलते ही प्रत्येक शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT. AIDED) संस्थान को समय—सारिणी में निर्धारित समयाविध में मास्टर डाटा पूर्ण करते हुये डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना अनिवार्य होगा। बाह्य प्रदेश स्थित संस्थान मास्टर डाटा में नाम सम्मिलित करने हेतु किसी भी समस्या के लिये कान्टेक्ट सेन्टर के दूरमाष संख्या 0522—3538700 (प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोडकर) पर कार्यालय अविध में सम्पर्क कर सकते हैं।


12— मैनेजमेंट कोटा/स्पाट एडिमशन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित छात्र, छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जो छात्र पात्र नहीं होगे, ऐसे छात्रों का डाटा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं करेंगे। अपात्र छात्र का आवेदन अग्रसारित करने की दशा में संस्थान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

13— मास्टर डाटा में सिम्मिलित संस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र ही आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन को संस्था द्वारा आनलाइन प्राप्त करके, वेरीफाई करके अग्रसारित करना अनिवार्य होगा तथा इसी के साथ छात्र के गृह जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को समस्त अभिलेखों सिहत हार्डकापी भी संस्थान के सत्यापन के उपरान्त भेजा जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य पूर्ण न होने की दशा में छात्र का आवेदन आनलाइन पूर्ण नहीं माना जायेगा।

14— समय—सीमा समाप्त होने के उपरान्त मास्टर डाटा में संरथा सम्मिलित करने का कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। समस्त संस्थाये डाटा आनलाइन निर्धारित समयाविध में ही फारवर्ड कर दें।

15— प्रदेश से बाहर अध्ययनरत छात्रों का आवेदन सामान्य वर्ग के अन्तर्गत तभी मान्य होगा जब वे उत्तर प्रदेश राज्य की आरक्षित श्रेणी (अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग) में न आते हों।

16— दशमोत्तर छात्रवृत्ति की नियमावली, विज्ञापन, बाह्य प्रदेश के शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT.AIDED) संस्थाओं हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में आवेदन पत्र, पाठ्यकम एवं अन्य विवरण के लिये वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in में जाकर सहायता/जानकारी प्राप्त कर लें तथा उसी के अनुसार निर्धारित



समयाविध में मास्टर डाटा में समस्त सूचनाओं को भरते हुये डिजिटल हस्ताक्षर से लाक करना, छात्र का आवेदन समय से अग्रसारित करना एवं छात्र के आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्नकों सिहत सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगें।

> निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

(राजाभार वर्मा) सहार्यक प्रबन्धक राग्वद्ध मुख्यालय रिश्त-अ अनुभाग

(सिंद

(मुनील कुमार विसेन) मंयुक्त निदेशक (मु०)